

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2026—श्रावण 1, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2026

क्र. 7035-123-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 16 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

NO. 16 OF 2026

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2026

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 15.
3. Amendment of Section 34.
4. Amendment of Section 54.

MADHYA PRADESH BILL

NO. 16 OF 2026

**THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(AMENDMENT) BILL, 2026**

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2026

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of the Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of
Section 15.

2. In Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Service, Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (3), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) after the supply has been effected, if for such discount, a credit note has been issued by the supplier and input tax credit, as is attributable to such discount, has been reversed by the recipient of the supply, in accordance with the provisions of Section 34.”.

Amendment of
Section 34.

3. In Section 34 of the principal Act, in sub-section (1), after words “both supplied are found to be deficient”, the words, brackets, letter and figures “or where a discount referred to in clause (b) of sub-section (3) of Section 15 is given” shall be inserted.

Amendment of
Section 54.

4. In Section 54 of the principal Act,-

(a) in sub-section (6), after the words “supply of goods or services or both”, the words, brackets and figures “or of unutilized input tax credit allowed under clause (ii) of the first provision of sub-section (3)” shall be inserted;

(b) in sub-section (14), after the words, brackets and figures “sub-section (5) or sub-section (6)”, the words “, other than cases, where refund of tax is claimed on account of goods exported out of India with payment of tax,” shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To bring clarity and effectiveness in tax administration, it is necessary to amend Section 15, 34 and 54 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017).

2. Amendment have been made in the said Act as follows,-

- (1) clause (2) seeks to amend sub-section (3) of Section 15 of the said Act, to do away with requirement of linking the post-sale discount with an agreement specifically linked to relevant invoice and to refer to issuance of credit note, under section 34, where the input tax credit is reversed by the recipient.
- (2) clause (3) seeks to amend Section 34 of the said Act, so as to include the reference of discount referred under clause (b) of sub-section (3) of Section 15 in the said section for issuing credit notes for post-supply discount.
- (3) clause (4) seeks to amend sub-section (6) of Section 54 of the said Act, to extend the provisions of provisional refund to refunds arising out of inverted duty structure and the clause further seeks to amend sub-section (14) of Section 54 of the said Act, to provide for removing the threshold limit for refund claim in case of goods exported out of India with payment of tax.

3. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated, the 19th July, 2026.

JAGDISH DEVDA
Member-in-charge.

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई 2026—आषाढ़ 29, शक 1948

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2026

क्र. 12607—मप्रविस—16—विधान—2026.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 16 सन् 2026) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई 2026 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०२६

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२६

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
२. धारा १५ का संशोधन.
३. धारा ३४ का संशोधन.
४. धारा ५४ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०२६

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२६

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (क) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाएगा.
- (ख) यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रावधान उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करें;

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न भिन्न प्रावधानों के लिए भिन्न भिन्न तिथियां नियत की जा सकती हैं और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं.

धारा १५ का संशोधन.

२. मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १५ की उपधारा (३) में खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

“(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात्, यदि ऐसी छूट के लिए प्रदायकर्ता द्वारा जमापत्र जारी किया गया है और ऐसी छूट से जुड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय धारा ३४ के उपबंधों के अनुसार प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है.”.

धारा ३४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (१) में, “दोनों में कमी पायी जाती है” शब्दों के पश्चात्, “या जहां धारा १५ की उपधारा (३) में खंड (ख) के अनुसार कोई छूट दी जाती है”, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे.

धारा ५४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५४ में,-

- (क) उपधारा (६) में, “मालों या सेवाओं के लेखे शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों”, शब्दों के पश्चात्, “या उपधारा (३) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन अनुज्ञात अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) उपधारा (१४) में, “इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी”, शब्दों के पश्चात्, “उन मामलों से भिन्न, जहां कर के संदाय के साथ भारत से निर्यात किए गए माल के कारण कर के प्रतिदाय का दावा किया जाता है, वहां” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कर प्रशासन में स्पष्टता लाने के लिए एवं प्रभावी कर प्रशासन के लिए मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) की ३ धाराओं में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में निम्नानुसार संशोधन किये गये हैं-

- (१) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२६ का खंड २ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (३) का, करार के साथ पश्च-विक्रय सहबद्ध करने की अपेक्षा को हटाने और धारा ३४ के अधीन जमापत्र के जारी करने को निर्दिष्ट करने हेतु, जहां इनपुट कर प्रत्यय प्राप्तकर्ता द्वारा उलट दिया जाता है, संशोधन करने के लिए है।
- (२) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२६ का खंड ३ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ३४ का संशोधन करने के लिए है, जिससे पश्च-विक्रय छूट हेतु जमापत्र नोट जारी करने के लिए, उक्त धारा में धारा १५ की उपधारा (३) के खंड (ख) का निर्देश सम्मिलित किया जा सके।
- (३) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२६ का खंड ४ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (६) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उलटी शुल्क संरचना से उद्भूत प्रतिदायों के लिए भी अनंतिम प्रतिदाय के उपबंधों को विस्तारित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, यह खंड मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (१४) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कर के संदाय के साथ भारत के बाहर निर्यात किए गए माल की दशा में प्रतिदाय दावे की स्वीकृति हेतु ऊपरी सीमा को हटाए जाने का उपबंध किया जा सके।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

दिनांक : १६ जुलाई, २०२६।

जगदीश देवड़ा

भारसाधक सदस्य।

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”।

अरविन्द शर्मा

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।